



भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ
Ministry of Environment, Forest & Climate Change
Integrated Regional Office, Lucknow



केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ-226024
Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector-H, Aliganj, Lucknow-226024, Telefax-2326696
Email: roc2.lko-mef@nic.in

पत्र सं० 8बी/यू०पी०/०४/३२/२०२२/एफ०सी०/१९

दिनांक : 08.04.2022

सेवा में,

अति० मुख्य सचिव,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
बापू भवन, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।

ONLINE PROPOSAL NO: FP/UP/Trans/41830/2019

विषय : जनपद सोनभद्र के रेनुकूट वन प्रभाग में रेनुसागर से हिण्डालकों संस्थान तक 132 के०वी० विद्युत ट्रान्समिशन लाईन के निर्माण हेतु मेसर्स हिण्डालकों इण्डस्ट्रीज लि० को 25 वर्षों (दिनांक 15.10.1996 से 14.10.2021 तक) हेतु लीज पर हस्तान्तरित 52.9666 हे० वनभूमि के लीज को आगामी 25 वर्षों (दिनांक 15.10.2021 से 14.10.2046 तक) हेतु नवीनीकरण किए जाने के सम्बंध में।

सन्दर्भ:- सचिव(वन), उत्तर प्रदेश शासन का पत्रांक संख्या पी-377/81-2-2021-800(330)/2021, लखनऊ, दिनांक-11.02.2022.

महोदय,

उपरोक्त विषय का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें। विषयांकित प्रकरण में राज्य सरकार द्वारा वन(संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा (2) के अन्तर्गत भारत सरकार की स्वीकृति मांगी है।

प्रकरण में विचारोपरान्त मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि निम्न बिन्दुओं पर आवश्यक सूचना इस कार्यालय को उपलब्ध कराएं ताकि आगे की कार्यवाई सुनिश्चित की जा सके-


1. As per the DSS and SOI toposheet of the proposed diversion area, some forest area patches have been demarcated as Non-forest land. The .kml file of the proposed diversion route, this needs to rectification/clarification.
2. As per the .kml file, the proposed diversion route has been suddenly ended at a point, this needs clarification.
3. Geo referenced map of the proposed diversion area is not clearly visible (point id), this needs rectification/clarification.
4. The NET suitable area for plantation as per GIS-DSS analysis is 95.95 ha., which is less than the actual required area.
5. As per the Google Earth imageries dated 16-11-2018, partially plantation activity has been observed on proposed CA land area.
6. Revised NPV calculation needs to be furnished by User agency as per MoEF&CC letters dated 06-01-2022 & 19-01-2022.
7. Revised Cost benefit analysis has to be provided.
8. Dwarf plantation needs to be proposed elsewhere in some forest area, accordingly scheme needs to be submitted.

भवदीया,

(डॉ० प्राची गंगवार)
उप वन महानिरीक्षक {केन्द्रीय}

प्रतिलिपि (ईमेल द्वारा):

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक(हॉफ), वन विभाग, 17, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ, उ०प्र०।
2. मुख्य वन संरक्षक(वन संरक्षण) एवं नोडल अधिकारी, वन विभाग, 17, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ, उ०प्र०।
3. प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट।
4. श्री विवेक कुमार, हेड लीगल, मे० हिण्डालको इण्डस्ट्रीज लि० रेनुकूट।
5. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु/आदेश पत्रावली।


(डॉ० प्राची गंगवार)
उप वन महानिरीक्षक {केन्द्रीय}